यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली (पौड़ी गढ़वाल) के माह 09.2013 से 11.2017 के लेखा-अ भलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी, तथा श्री राजकुमार , लेखापरीक्षक द्वारा श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 07.12.2017 से 11.12.2017 तक सम्पादित की गयी।

भाग-**I**

1). परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री जी एस नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एवं श्री एल एस लंगवाल, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी द्वारा दिनांक 19.09.2013 से 24.09.2013 तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08.2006 से 08.2013 तक के लेखा-अ भलेखों की जांच की गयी थी।

2). **(i).** इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः सतपुली पूर्वी नयार के कनार अवस्थित एक कस्बाई शहर है, जो कोटद्वार और पौड़ी शहर के मध्य स्थित है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 119 (534) पर स्थित है। जिसकी निदेशालय से दूरी 324 कमी है, एवं निकटम रेलवे स्टेशन कोटद्वार से सतपुली के बीच सात पुल के कारण इस का नाम सतपुली पड़ा राजकीय महा वद्यालय सतपुली के अंतर्गत आने गांव- कुल्हाड, मल्ली सतपुली, बिलखेत, चमासू, चमोली सैंण, नौगांव, मलेटी, दुधारखाल, ओडल, चमोलू गांव, मलेटी सैंण, पटीसैंण

ii). (अ). वगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्र.सं.	वत्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना **(01,03,06)**		आ धक्य (+)	बचत (-)	गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय			आवंटन	व्यय		
1	2014-15	शून्य	शून्य	59.40	59.20	-	0.20	4.57	3.70	-	0.87
2	2015-16	शून्य	शून्य	63.76	60.57	-	3.19	1.97	1.89	-	0.08
3	2016-17	शून्य	शून्य	60.05	58.66	-	1.39	9.37	9.29	-	0.08
4	2017-18 (11/17)	शून्य	शून्य	50.19	46.50	-	3.69	5.82	3.65	-	2.17

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के वगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक आवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन)	व वध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि)	कुल प्राप्ति	व्यय	आ धक्य (+)	बचत (-)
2014-15	रूसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2015-16	रूसा	शून्य	88.36	---	88.36	48.76	--	39.60
2016-17	रूसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2017-18 (11/2017)	रूसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना (अनुदान संख्या 11 के अंतर्गत, निदेशक उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी) द्वारा कया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मि लत करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है।

वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). स चव, उच्च शक्षा, उत्तराखंड, देहरादून

b). उच्च शक्षा निदेशालय, हल्द्वानी

c). उच्च शक्षा निदेशक, हल्द्वानी

d). प्राचार्य, रा. महा वद्यालय, सतपुली, पौड़ी, गढ़वाल

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः वर्तमान लेखापरीक्षा 09.2013 से 11.2017 तक की अव ध को आच्छादित करते हुए कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के लेखा-अ भलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03.2014 एवं 02.2015 को वस्तृत जांच हेतु चयनित कया गया प्रतिचयन अ धकतम व्यय के आधार पर कया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1 -अनिय मत क्रय रु. 21.76 लाख।

परियोजना निदेशक, रुसा परियोजना निदेशालय के पत्रांक 1056(70)/रुसा/2016-17 दिनांक 05 सतम्बर 2016 के अनुसार रुसा के अंतर्गत नई सु वधाओं के लए स्वीकृत धनरा श का नियमानुसार उपयोग संबं धत वश्व वद्यालय/महा वद्यालय द्वारा ही कया जायेगा। व्यय करने से पूर्व उत्तराखण्ड अ धप्राप्ति नियमावली 2008 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में कार्यालय राजकीय महा वद्यालय सतपुली को वत्तीय वर्ष 2016-17 में रूसा के अंतर्गत नई सु वधाओं हेतु जारी प्रथम कश्त की रा श रु. 21.76 लाख के सापेक्ष क्रय की गयी साम ग्रयों की नियमावली के तहत आपूर्ति को परीक्षण कया गया। परीक्षण में पाया गया क गठित स मति में नियम संगत वत्त के गठित स मति की मार्केट सर्वे रिपोर्ट तथा इस आशय की संयुक्त रुप से प्रमाण पत्र जिस सामग्री के क्रय की संस्तुति की गयी है, यह अपे क्षत व शष्टताओं और गुणवत्ता है, उसका मूल्य वर्तमान बाजार दर के अनुसार है, अनुपलब्ध पायी गयी। क्रय सामग्री रु. 3.00 लाख से ऊपर की पायी गयी, अतः प्रोक्योरमेंट रुल के अनुसार बेहतर प्रतिस्पर्धा दर प्राप्त करने के लए वज्ञापन (नियम-11(3) व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों के माध्यम से नि वदा/कोटेशन आमंत्रण के समर्थन में साक्ष्य की प्रति लेखापरीक्षा में नहीं पाया गया।

इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया क भ वष्य में ध्यान रखा जायेगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, क्रय प्र क्रया में प्रोक्योमेंट रुल की पूरी तरह अनदेखी की गयी, फलतः क्रय की गयी साम ग्रयों की गुणवत्ता तथा दर की रियायतता (Economical) शासकीय हित में पूरी नहीं की गयी।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- रु. 20.38 लाख व्ययावर्तन **(Diversion)** कर परियोजना का उद्देश्य निष्प्रयोज्य करने का प्रकरण पाया गया।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महा वद्यालय सतपुली (पौड़ी) की अ भलेखों की जांच करने पर प्रकाश में आया क शासनादेश सं. 2205/XXIV(7)2016-92(2)/15 दिनांक 25 जनवरी 2016 के क्रम में स्वीकृत धनरा श रु. 149.11 लाख के अंतर्गत रु. 69.33 लाख नये निर्माण पर, रु. 20.38 लाख पुनरुद्वार/ऽच्चीकरण हेतु तथआ रु. 59.40 लाख नई सु वधाओं के लए प्रावधानित की गयी थी।

जाँच में आगे पाया गया क महा वद्यालय का अपना भवन न होने के कारण स्वीकृत नये निर्माण हेतु लागत रु. 69.33 लाख से महा वद्यालय भवन के लए तीन कक्षों तथा दो टायलेट नि र्मत करने का निर्णय लया गया। रुसा गाईडलाइन के तहत पुनरूद्वार/ऽच्चीकरण की रा श उन महा वद्यालय के लए अनुमन्य थी, जिसका पूर्व में अपना भवन स्थित हो, परंतु दिशानिर्देशन के वपरित रु. 20.38 लाख पुनरुद्वार की रा श भी नये निर्माण की रा श के साथ सम्मि लत कर कार्यदायी संस्था को जारी कर दी गयी तथा नई सु वधाओं के तहत स्वीकृत लागत के सापेक्ष रु. 21.76 लाख की पुस्तकें, कम्प्यूटर उपकरण तथा खेल कूद साम ग्रयों का क्रय कया गया परंन्त नि र्मत होने वाले तीन कक्षों वाले भवन में बिना पुस्तकालय कक्ष, कम्प्यूटर लैब तथा स्टोर कक्ष के कारण तथा स मति नि र्मत क्षेत्र के फलस्वरुप फं डग के बावजूद रुसा परियोजना का उद्देश्य अनुपयोगी पाया गया।

इस ओर इं गत कये जाने पर इकाई ने माना क 03 शक्षण कक्ष बनाये जाने का प्रा वधान है, जो क महा वद्यालय के अनुसार पर्याप्त स्थान पर पर्याप्त कक्ष प्रतीत नहीं होता है। जिससे महा वद्यालय में छात्रों की संख्या प्रभा वत होगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया। महा वद्यालय का अपना भवन न होने के कारण पुनरुद्वार मद में रा श का प्रावधान कर नये निर्माण पर व्यय करना तथा अपर्याप्त नि र्मत क्षेत्र के बावजूद बडे पैमाने पर साम ग्रयों का क्रय कर परियोजना के उद्देश्य की पूर्ति में सफल न होना, ववेकपूर्ण निर्णय नहीं था।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग : 2-(ब)

प्रस्तर -3- छात्रों से ली गयी काशनमनी धनरा श रु 1**,12,434/-** का वगत वर्षो से छात्र हित में व्यय न कया जाना।

शासनादेश संख्या 5125/15-11-86-4ए/45/85, दिनांक 10 जुलाई 1986 के अनुसार राजकीय महा वद्यालय मे छात्रों से ली जाने वाली काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क के रखरखाव एवं उपयोग संबन्धित नियम/ मार्ग दर्शन बनाए गए है जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत है:-

1. यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श व्यपगत (Lapse) कर दी जाएगी।
2. छात्र कोषो के लए परामर्शदात्री स मति बनाई जाएगी जिसमे छात्रों का प्रतिनि धत्व 50 प्रतिशत होगा। यह स मति संबन्धित कोष के लए प्राप्त धनरा श के व्यय हेतु प्राचार्य को परामर्श देगी, जिसके अनुसार छात्र कोष का उपयोग कया जाएगा।
3. छात्र कोष से वकास कोष अथवा अनुरक्षण कोष हेतु कोई ऋण नही लया जाएगा और यह रा श उसी मद पर व्यय की जाएगी जिसके लए वसूल की गयी है।
4. यदि कन्ही कारणो से कसी छात्र कोष मे बचत हो जाती है और यह बचत तीन वर्ष तक बची रहती है तो उस कोष की स मति उस बचत को अन्य छात्र कल्याणकारी कार्यो मे व्यय करने हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है जिस पर कालेज की प्रबंध स मति के अनुमोदनोपरांत शक्षा निदेशक, उच्च शक्षा अथवा उनके द्वारा प्रा धकृत कसी अ धकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली, पौड़ी, गढ़वाल के काशनमनी/ प्रतिभूति शुल्क संबन्धित अ भलेखो की जांच की गयी। संबन्धित अ भलेखो मे पाया गया क महा वद्यालय द्वारा वगत वर्षो मे छात्रों से ली जाने वाली प्रतिभूति स्वरूप काशनमनी की धनरा श बैंक खाता संख्या 31531741784 मे रु 1,12,434/- अंतिम-शेष वगत कई वर्षो मे छात्रों द्वारा वापस नही ली गयी है जिस कारण उक्त धनरा श कई वर्षो से खातो मे पड़ी हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा तथ्यो एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया है क छात्रों से कोई आवेदन प्राप्त नही हुआ है तथा संबन्धित धनरा श से कोई क्रयाकलाप/व्यय नही कया गया है उक्त धनरा श खातो मे कई वर्षो से पड़ी है

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्यो क शासनादेश के अनुसार यदि कोई छात्र महा वद्यालय छोडने के 03 वर्ष पश्चात तक अपनी काशन मनी वापस लेने का आवेदन पत्र नही देता है तो यह रा श व्यपगत (Lapse) कर दी जाएगी।

अतः छात्रों से ली गयी काशनमनी धनरा श रु 1**,12,434/-** का वगत वर्षो से छात्र हित में व्यय न कए जाने का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर -1- महा वद्यालय द्वारा धनरा श रु 1**,20,552/-** क पुस्तकों पर निरर्थक व्यय कया जाना

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली पौड़ी, गढ़वाल के रूसा संबन्धित अ भलेखो मे पाया गया क पत्रांक संख्या 804(1)/XXIV(7)/2017-92(2)/15,दिनांक 17 मार्च 2017 द्वारा महा वद्यालय को नयी सु वधायों के अंतर्गत sport equipment, books/ journals/ e-resources and computer equipment क्रय कए जाने हेतु रु 21.75 लाख क वत्तीय स्वीकृति प्रदान क गयी थी जिसके तहत महा वद्यालय स्तर से रु 21.75 लाख का सम्पूर्ण धनरा श का व्यय कया गया। लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया क महा वद्यालय द्वारा Sport Equipment, Books/ Journals/E-resources और Computer equipment पर क्रमश रु 4,00,034, रु 6,83,502/- एवं 14,52,130/- पर व्यय कया गया। महा वद्यालय द्वारा कुल रु 6,83,502/- क पुस्तके का क्रय रूसा के अंतर्गत कया गया था, जिसमे रु 1,20,552/- की पुस्तके बीएससी पाठ्यक्रम हेतु क्रय क गयी, जब क बीएससी पाठ्यक्रम महा वद्यालय मे वर्तमान मे संचा लत नही था और न ही वगत वर्षो मे महा वद्यालय द्वारा कभी पाठ्यक्रम का संचालन कया गया था। महा वद्यालय को उसके स्थापना वर्ष 2006 से बीएससी पाठ्यक्रम हेतु अस्थायी सम्बद्धता जारी क गयी थी परंतु स्थान के अभाव के कारण कभी भी सम्बन्धित पाठ्यक्रम महा वद्यालय मे नही चलाया गया था। वर्तमान मे महा वद्यालय के पास स्वयं क जमीन नही होने के कारण रूसा से तहत 03 शक्षण कक्ष (क्लास रूम) बनाए जाने का प्रावधान है जो क महा वद्यालय स्तर से पर्याप्त नही है। महा वद्यालय द्वारा संबन्धित पुस्तकों का क्रय करते समय निदेशालय से कोई अनुमति नही ली गयी बल्कि भ वष्य मे पाठ्यक्रम के संचा लत कए जाने क प्रत्याशा को ध्यान मे रखते हुए रु 1,20,552/- मूल्य क पुस्तकों का क्रय कया गया जो क वर्तमान मे पाठ्यक्रम के संचा लत नही होने के कारण तथा छात्रों के अभाव (बीएससी छात्र) के कारण उपयोग मे नही है, अतः स्पष्ट है रु 1,20,552/- मूल्य क पुस्तके (बीएससी पाठ्यक्रम) महा वद्यालय क अ ववेकपूर्ण/ गलत निर्णय के कारण अनुपयोगी पड़ी हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने तथ्य एवं आकड़ों क पुष्टि करते हुये अपने उत्तर मे बताया क भवन के अभाव मे पाठ्यक्रम संचा लत नही हो रहा है तथा भ वष्य मे पाठ्यक्रम के संचालन क प्रत्याशा मे पुस्तकों का क्रय कया गया एवं पुस्तकों के क्रय करते के संबंध इकाई ने उत्तर दिया है क भ वष्य मे ध्यान रखा जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्यो क रु 1,20,125/- मूल्य क बीएससी पाठ्यक्रम क पुस्तकों का क्रय कया गया है जब क संबन्धित पाठ्यक्रम वर्ष 2006 से कभी महा वद्यालय मे संचा लत नही कया गया था।

अतः महा वद्यालय द्वारा धनरा श रु 1**,20,552/-** क पुस्तकों पर निरर्थक व्यय कया जाना का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर सं: 02**-** धनरा श रु **85,173/-** की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न कया जाना।

सामान्य वत्तीय नियम 192 के अनुसार वर्ष मे कम से कम एक बार भंडार का भौतिक सत्यापन कया जाना चाहिय एवं नियम संख्या 196 एवं 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री को निष्प्रयोज्य घो षत कर उसकी यथा शीघ्र नीलामी/ निस्तारण की जानी चाहिय ता क उक्त सामाग्री की और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के भंडार संबन्धित अ भलेखो की जांच मे पाया गया क महा वद्यालय मे वगत वर्षो (सामग्री वर्ष 2013 से 2016 के मध्य क्रय क गयी) से रु 85,173/- मूल्य क सामग्री निष्प्रयोज्य पड़ी हुई थी। जिसे महा वद्यालय द्वारा दिनांक 05.12.2013, 30.07.14, 16.06.15 एवं 11.06.16 मे भौतिक सत्यापन कर निष्प्रयोज्य घो षत कया गया था। अतः धनरा श रु 85,173/- मूल्य क सामग्री जो क 48 माह से 18 माह क अव ध से अ धक समय पहले निष्प्रयोज्य घो षत क जा चुकी थी, के नीलामी/ निस्तारण हेतु महा वद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नही क गयी थी। इस प्रकार सामग्री के 4 वर्ष से अ धक समय से निष्प्रयोज्य घो षत होने के बाद भी नीलामी न कए जाने के कारण उक्त सामग्री का निरंतर मूल्य ह्रास हो रहा था जिसके कारण उक्त सामग्री क नीलामी से प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों की हानि हो रही थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया क महा वद्यालय द्वारा कोई नीलामी नही की गयी है तथा नीलामी कए जाने हेतु भ वष्य मे ध्यान रखा जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्यो क सामग्री इकाई की उदासीनता के कारण निष्प्रयोज्य सामग्री क नीलामी न कए जाने के कारण उससे प्राप्त होने वाली वभागीय प्राप्तियों कम हो रही है, जिस कारण शासकीय हानि हो रही है।

अतः धनरा श रु **85,173/-** की निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न कया जाना का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN	TAN
AIR No.-92/13-14	शून्य	शून्य	शून्य	1,2,3,4,5

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
AIR No.-92/13-14	शून्य	-	-	-

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः-

अप्रस्तुत अ भलेख:

2). सतत् अनिय मतताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया :

नाम	पदनाम	अव ध
डा0 प्रवीन जोशी	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय सतपुली, पौड़ी, गढ़वाल	26.12.2011 से 25.08.16 तक
डा0 राकेश इस्टवाल (कार्यवाहक)	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय सतपुली, पौड़ी, गढ़वाल	26.08.2016 से 05.06.2017
डा0 रेनू नेगी लावनी रानी राजवंशी	प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय सतपुली, पौड़ी, गढ़वाल	06.06.2017 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय प्राचार्य, राजकीय महा वद्यालय, सतपुली, पौड़ी, गढ़वाल को इस आशय से प्रे षत कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 को प्रे षत कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/सामाजिक क्षेत्र